न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

(25)

प्रकरण क्रमांक : /2018 निगरानी

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/0721

रामचरण पुत्र रामकिशन, आयु– वर्ष,

व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम रंगवासा, तहसील

व जिला इंदौर (म.प्र.) ––प्रार्थी

बनाम

1. मोतीराम पुत्र रामकिशन,
2. दिनेश पुत्र वासुदेव, निवासीगण–ग्राम रंगवासा, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.)

–––प्रतिप्रार्थीगण

श्री .... द्वारा आज दि. 29/1/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 24/01/2018 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इंदौर के प्रकरण क्रमांक–28/2015–15 अपील

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2018/0721

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपना पक्ष प्रमाणित करने का भार सम्बन्धित पक्षकार का होता है । आवेदक स्वयं हस्तलिपि विशेषज्ञ से राय लेने के लिए स्वतंत्र हैं । अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	